प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी दिनांक 23 मार्च 1994 का लाइसेंस 27 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार करना तत्काल प्रभाव बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/487